

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 357]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 जुलाई 2026 — आषाढ़ 12, शक 1948

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 जून 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENCOR-35/6888/2025-FINANCE/4.— आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का सं. 18) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (दो) के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्वारा अधिसूचना क्र. 381/09/2025/स्था./चार, दिनांक 6 मार्च, 2025 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

द्वितीय पैरा में, शब्द "संचालक कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़" के पश्चात, शब्द "तथा संचालक पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़" अंतःस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजशेखर शर्मा, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 24th June 2026

NOTIFICATION

No. GENCOR-35/6888/2025-FINANCE/FOUR.— In accordance with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of Section 4 of the Aadhar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services), Act, 2016 (No. 18 of 2016), the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. 381/09/2025 /EST/FOUR, dated 6th March 2025, namely:-

AMENDMENT

In the said notification,-

In second paragraph, after the words "Director Treasury and Accounts, Chhattisgarh", the words "and Director Pension and Provident Fund, Chhattisgarh", shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJ SHEKHAR SHARMA, Deputy Secretary.